शोध आलेख

11

नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 गुणात्मक विश्लेषण

*कुसुम यदुलाल**

प्राथमिक स्तर पर सभी बालक/बालिकाओं हेतु नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के महत्व को शिक्षाविदों द्वारा स्वीकार किया गया है। यह तथ्य अनुभव से भी सिद्ध हुआ है, क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है और सभ्यता का विकास होता है। बच्चे शिक्षा द्वारा अपनी संस्कृति से काफ़ी हद तक रूबरू हो पाते हैं। विज्ञान प्रगतिवान होता है और लौकिक ज्ञान चहुँमुखी होकर मानव जाति का मार्ग उत्तरोत्तर उत्थान हेतु प्रशस्त करता है। इस संदर्भ में भयावह सत्य भी हमारे सम्मुख उपस्थित होता है कि जिन देशों में उपलब्ध अवसरों एवं संसाधनों के असमान वितरण अथवा अनभिज्ञता के कारण बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, ऐसे देश अन्य देशों की अपेक्षा पिछड़ेपन का शिकार होते हैं। इसलिए सभी देशों ने मानव विकास पर ज़ोर देते हुए शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं अनिवार्यता पर बल दिया है। स्वतंत्र भारत के संविधान में भी समतामूलक और शिक्षा से संबंधित अनेक प्रावधान इसी दृष्टि से रखे गए हैं कि भारतवर्ष के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार हो और वे इससे वंचित न रहें, इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में दिया गया है – ''बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।''

भारत के सभी 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। समय-समय पर इस क्षेत्र में विभिन्न आयोगों ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए और केंद्र और राज्य सरकारों ने भी निरक्षरता का उन्मूलन करने हेतु अपने-अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। पिछले 60 वर्षों में विद्यालय व्यवस्था में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। विचारणीय तथ्य यह है कि हम आज तक 'सभी को शिक्षा प्राप्त हो', इस लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाए हैं। जिसके फलस्वरूप सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किया गया, जिसका लक्ष्य सन् 2010 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को उपयोगी एवं गुणात्मक

* *वरिष्ठ व्याख्याता*, शिक्षाशास्त्र विभाग, आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय), नयी दिल्ली 110016

शिक्षा प्रदान करना था। किंतु जिस उत्साह के साथ यह अभियान शुरू किया गया था, वह प्राप्त होता न देखकर भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया, जो 27 अगस्त 2009 को अधिनियम के रूप में पारित कर दिया गया। जिसके द्वारा यह घोषण की गई कि सभी बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के हैं, उन्हें सरकार नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य प्रारूप के संबंध में बनाया गया है। इस अधिनियम के कई भाग बनाए गए हैं, जो क्रमश: इस प्रकार हैं—

- प्रारंभिक शिक्षा;
- नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार;
- राज्य सरकार, स्थानीय अधिकारी एवं माता-पिता के कर्त्तव्य;
- विद्यालयों एवं शिक्षकों की ज़िम्मेदारी;
- पाठ्यक्रम एवं प्राथमिक शिक्षा का पूर्तिकरण;
- बच्चों के अधिकार की सुरक्षा; और
- शिक्षा के विविध संदर्भों को समाहित करना।

प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन

प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को जानने से पहले गुणवत्ता आश्वासन क्या है, इसके अर्थ को समझना अति आवश्यक है। गुणवत्ता आश्वासन के दो आयाम हैं– 1. गुणवत्ता; और 2. आश्वासन। गुणवत्ता से हमारा तात्पर्य किसी सेवा या उत्पााद में वे समग्र लक्षण और विशेषताएँ हैं, जो उसके बारे में वर्णित या निहित गुणों को पूरा करने की क्षमता रखती हैं। जबकि आश्वासन से तात्पर्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक रचनात्मतक कौशल है, जिसके द्वारा अपव्यय एवं दोषपूर्ण भागों का उत्पादन रोक दिया जाता है। जिसमें गुणवत्ता प्रदान करने के लिए रूपांकन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जबकि संपूर्ण गुणवत्ता से तात्पर्य है – सतत सुधार के लिए प्रतिबद्धता और संगठन के सभी सदस्यों की भागीदारी। यदि प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को देखना है तो गुणवत्ता आश्वासन को विभिन्न सोपानों से होकर गुज़रना होगा, जो क्रमश: इस प्रकार हैं—

- नि:शुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन किया जाए।
- नि:शुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में जहाँ कमियाँ हैं, उनकी पहचान की जाए।
- नि:शुल्क प्रारंभिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन में कमी लाकर समस्याओं का निवारण करना होगा तथा शिक्षा में नामांकन को बढ़ाना होगा।
- नि:शुल्क प्रारंभिक शिक्षा में नियमित सुधार करके संगठन के सभी सदस्यों की भागीदारी, सतत सुधार करके संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन को प्राप्त करना है।

इस प्रकार गुणवत्ता आश्वासन के माध्यम से नि:शुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में कमियों को जानकर उनका नियंत्रण करके तथा निवारण हेतु रोकथाम करके और सतत सुधार के माध्यम से शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता आश्वासन को प्राप्त किया जा सकता है।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 72 5/26/2017 9:27:05 AM

बॉयर, 1996 के अनुसार विद्यालयी गुणवत्ता के लिए पाँच प्राथमिकताएँ अत्यावश्यक हैं, जो इस प्रकार हैं—

- उस संस्था के भीतर समुदाय बोध का निर्माण;
- भाषायी केंद्रीयता – प्रतीकों का अध्ययन एवं उपयोग;
- पाठ्यचर्या का सामंजस्य;
- सृजनात्मक अधिगम के लिए वातावरण का निर्माण – सक्रिय अधिगम के लिए एक स्थान, न कि अकर्मणीय अधिगम, एक स्थान जहाँ लोग सजग बनने के लिए सीखें, ना कि अनुकरण के लिए, जहाँ वे सहयोग करना सीखें, साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा भी हो;
- ऐसे वातावरण का निर्माण जो हर विद्यार्थी के चारित्रिक निर्माण की पुष्टि करे।

प्रारंभिक शिक्षा का मूल्यांकन

किसी शिक्षा संस्था के आकलन और उपचार की प्रमुख गुणात्मक विधि है स्वॉट विश्लेषण– यह विश्लेषण का ऐसा प्रकार है, जहाँ पर इसे आत्मविश्लेषण के रूप में समझा जा सकता है। स्वॉट विश्लेषण— एस.डब्यू.ओ.टी. (SWOT)– सामर्थ्य, कमज़ोरी, अवसर तथा खतरा विश्लेषण। यह बुनियादी तौर पर संगठनात्मक उपचार के लिए प्रतिभागितापरक प्रणाली है, जिसमें किसी संगठन के सदस्य अपनी ताकत, कमज़ोरी, अवसरों तथा खतरों की पहचान कर सामूहिक रूप से निर्णय करते हैं।

प्रारंभिक शिक्षा और एस.डब्ल्यू.ओ.टी.

- नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा में वे क्या पहलू/कदम हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है तथा जिन्हें और बढ़ाया जा सकता है?
- नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा में संस्था के सामने कौन से अवसर हैं, जिनका उपयोग शक्ति-संवर्धन में किया जा सके?
- नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा में वे क्या मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे वे विकास के लिए खतरा न बनें?

नि:शुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में विद्यालय में गुणवत्ता शिक्षा के विभिन्न प्रतिमान (मॉडल)

प्रतिमान एवं मॉडल के प्रकार	विद्यालय में शिक्षा गुणवत्ता की अवधारणा	मॉडल उपयोगिता के लिए शर्तें	गुणवत्ता आकलन के लिए सूचक/मूल क्षेत्र
लक्ष्य एवं विशेष विवरण प्रतिमान (मॉडल)	विद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा दिए गए विशेष विवरणों की पुष्टि	जब विद्यालय के लक्ष्य स्पष्ट हों	विद्यालयी उद्देश्य, मानदंड और विशेष विवरण जो विद्यालयी/कार्यक्रम योजनाओं में सूचीबद्ध हैं, उदहारण के लिए, शिक्षा दर, विद्यालय त्याग की दर आदि

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 73 5/26/2017 9:27:05 AM

संसाधन निवेशित प्रतिमान (मॉडल)	विद्यालय के लिए आवश्यक गुणवत्ता संसाधन एवं निवेश की प्राप्ति	जब विद्यालयी निवेश एवं उत्पादन के बीच एक स्पष्ट संबंध हो	विद्यालय कार्यकारी संस्थानों की उपलब्धि, उदाहरणस्वरूप विद्यार्थी निवेश की गुणवत्ता, सुविधाएँ, आर्थिक सहायता आदि
प्रक्रिया प्रतिमान (मॉडल)	आंतरिक सहज प्रक्रिया एवं सार्थक अधिगम अनुभव	जब विद्यालयी प्रक्रिया एवं शैक्षिक उत्पााद के बीच स्पष्ट संबंध हो	नेतृत्व, सहभागिता, सामाजिक प्रभाव, कक्षा का वातावरण, अधिगम गतिविधियाँ एवं अनुभव आदि
संतुष्टि प्रतिमान (मॉडल)	विद्यालय के सभी प्रमुख क्षेत्रों में संतोष	जब क्षेत्रों की माँग संगत हो तथा जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता	शिक्षा सत्ता, प्रबंधन मंडल, प्रशासकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों आदि का संतोष
वैधानिकता प्रतिमान (मॉडल)	विद्यालय की वैध स्थिति एवं मान्यता की प्राप्ति	जब विद्यालय के अस्तित्व एवं बंद होने की बात हो, उसका आकलन होना ही चाहिए। जब वातावरण बहुत अधिक प्रतियोगी एवं माँग वाला हो	जनसंपर्क, बाज़ारीकरण, सार्वजनिक छवि, मान्यता, समुदाय में स्तर, उत्तरदायित्व का साक्ष्य आदि
समस्याओं की अनुपस्थिति प्रतिमान (मॉडल)	विद्यालय में समस्याओं तथा संकटों की अनुपस्थिति	जब गुणवत्ता की कसौटी पर कोई असहमति न हो, परंतु विद्यालय के सुधार के लिए कार्यनीति की आवश्यकता हो	विवादों, दुष्क्रियाओं, कठिनाइयों, कमियों, कमज़ोरियों, संकटों आदि की अनुपस्थिति
संगठनात्मक अधिगम प्रतिमान (मॉडल)	वातावरण बदलाव और आंतरिक बाधाओं को अपनाना, लगातार सुधार करना	जब विद्यालय नए हों या बदल रहे हों। जब वातावरण के बदलाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता	

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 74 5/26/2017 9:27:05 AM

नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा गुणवत्ता प्रबंधन के सोपान

संपूर्ण गुणवत्ता आश्वासन के उपागम एवं गतिविधियाँ

1. संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन

- सभी के समक्ष लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए।
- शैक्षिक कार्यों में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की सहभागिता।
- शिक्षकों और प्रशासकों में ताल-मेल स्थापित करना।
- सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के कार्यों एवं उत्तरदायित्व का बंटवारा।
- शिक्षा विशेषज्ञों एवं शिक्षा जगत से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य रूपांतरण का अधिकार।
- सतत सुधार के लिए प्रतिबद्धता।
- संगठन के सभी सदस्यों की भागीदारी।
- समस्या समाधान आधारित कार्य-प्रणाली।
- सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना।
- संख्यात्मक की जगह गुणात्मक
- सहयोग एवं समन्वय आधारित कार्यक्रम।
- शिक्षा तथा आत्म-सुधार हेतु प्रबल कार्यक्रम स्थापित करें।

2. गुणवत्ता आश्वासन

- नियंत्रण हेतु अनुशासन का सख्ती से पालन करना।
- समस्या समाधान निराकरण हेतु रोकथाम पर बल देना।
- क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से व्यावहारिक समाधान।
- गुणवत्ता का लेखा-जोखा तथा मूल्यांकन।
- शिक्षा से संबंधित विभिन्न आयामों पर शोधकार्य किए जाएँ।
- निरीक्षण के स्थान पर पर्यवेक्षण को महत्व प्रदान किया जाए।
- बाहरी मूल्यांकन के स्थान पर आंतरिक मूल्यांकन व आत्म-सुधार हेतु प्रेरित।

3. गुणवत्ता नियंत्रण

- विद्यार्थियों एवं अध्यापकों का अनुपात उचित मात्रा में होना चाहिए।
- गुणवत्ता की कसौटी निश्चित की जाए।
- शिक्षकों एवं प्रबंधन की उचित व्यवस्था हो।
- उचित समय से वित्तीय व्यवस्था की जाए।

4. निरीक्षण

- विद्यालय में आंतरिक निरीक्षण का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक को सौंपा जाए।
- सत्र की समाप्ति पर प्रधानाध्यापक द्वारा मूल्यांकन और पुन: सुधार हेतु सुझाव।
- संसाधनों में कमी हो तो प्रशासकों को जागृत किया जाए।
- विद्यार्थी अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक की कार्य-संतुष्टि का ध्यान रखा जाए।
- समय-समय पर अध्यापकों, प्रशासकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सेमिनार, गोष्ठियाँ और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 75 5/26/2017 9:27:06 AM

- सभी को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, इसके लिए सरकार, शिक्षा-प्रशासक, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ता का सहयोग समय-समय पर प्राप्त होना चाहिए।

नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा हेतु सुझाव

प्रबंधकों के लिए

- प्रबंधन तंत्र में सक्रियता को बढ़ाया जाए।
- भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की उचित व्यवस्था की जाए।
- विद्यालय में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठि की स्थापना की जाए।
- सतत सुधार के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।
- कार्यालयी कार्य के लिए कार्यालय सहायक को अतिरिक्त धनराशि दी जाए।
- विद्यालय में पर्यवेक्षण की उचित व्यवस्था की जाए।
- विभागीय व्यक्तियों में तालमेल एवं समन्वय स्थापित किया जाए।
- सलाह व सहायता के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जाए।
- सभी अध्यापकों एवं कर्मचारियों के कार्यों का उचित बंटवारा किया जाए।
- संगठन के सभी सदस्यों की भागीदारी होनी चाहिए।
- अपव्यय एवं अवरोधन की रोकथाम की जाए।

अध्यापकों के लिए

- विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात नियमानुसार होना चाहिए।
- प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा अनुदेशन हेतु अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण सुविधा प्रदान की जाए।
- उचित साधन, सुविधा, वेतन तथा आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
- शिक्षण समय का ध्यान रखकर अन्य कार्यभार सौंपा जाए। नवाचार अनुकूलन व रचनात्मक परिवर्तन का अधिकार दिया जाए।
- संख्यात्मक के स्थान पर गुणात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए।
- विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए प्रेरित किया जाए।
- अध्यापकों के ट्यूशन पर सख्त पाबंदी लगाई जाए।
- अतिरिक्त समय देने पर अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जाए।
- केंद्र, राज्य, ज़िला/ब्लॉक/स्तरों पर सम्मान एवं पुरस्कार योजना लागू की जाए।
- शिक्षकों की कार्यकुशलता, कर्त्तव्यनिष्ठा हेतु उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श की उचित सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

अभिभावकों के लिए

- प्रत्येक महीने में एक-दो बार अभिभावक विद्यालय में अवश्य आएँ।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 76 5/26/2017 9:27:06 AM

- गृहकार्य को पूरा करने में अपना पूर्ण सहयोग दें।
- छात्रों की शैक्षिक समस्या समाधान में सहयोग प्रदान करें।
- शिक्षण अधिगम में रूपांतरण तथा परिवर्तन हेतु सुझाव प्राप्त करें।
- छात्र, अध्यापक, प्रशासक एवं अभिभावक में अच्छे संबंध स्थापित किए जाएँ।
- केंद्र, राज्य, ज़िला एवं विद्यालय स्तर पर अभिभावकों को सम्मान पुरस्कार दिए जाएँ।

समाज और समुदाय के लिए

- नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में समाज और समुदाय के सम्मुख लक्ष्य और उद्देश्य की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए।
- जिन समुदायों के बच्चे बिलकुल पिछड़े हुए हैं, उन्हें अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान की जाएँ, ताकि वे देश की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
- समुदाय विशेष में शिक्षा प्रदान करने की ज़िम्मेदारी सौंपी जाए।
- महिला शिक्षा के प्रति सभी को जागृत किया जाए तथा इनके विशेष शिक्षण की व्यवस्था की जाए।
- ग्रामीण स्तर पर समाज के प्रमुख व्यक्तियों को भी अनिवार्य शिक्षा में सहभागी बनाया जाए।
- समाज और समुदाय नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु विशेष सुविधाएँ सरकार द्वारा सीधे व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाएँ।
- शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो भी व्यक्ति कार्य करे, उसे उचित धनराशि और सम्मान एवं पुरस्कार दिया जाए।

अन्य सुझाव

- शिक्षा में किए जा रहे निवेश के प्रति लोगों को जागृत किया जाए।
- विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर गतिविधियाँ की जाएँ।
- संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था छात्र केंद्रित और विकास पर आधारित होनी चाहिए।
- विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को अपनी भूमिकाओं की ज़िम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए।
- सुधारात्मक गुणवत्ता कार्यक्रम बनाए जाएँ।
- विविध प्रकार की बजटों की व्यवस्था की जाए , जो विद्यालय की आवश्यकतानुसार हों।
- आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मानवीय एवं भौतिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ।
- सूचना एवं तकनीकी सेवा की सहायता से छात्रा, अध्यापकों एवं अभिभावकों को संपर्क सुविधा हो और मिलकर समस्या का समाधान निकाला जाए।
- सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
- गुणवत्ता कार्यनीति, मूल्यांकन स्पष्ट होना चाहिए।
- सतत गुणवत्ता सुधार योजना होनी चाहिए।
- विद्यार्थियों, अध्यापकों, प्रशासकों एवं अभि-भावकों का पृष्ठपोषण किया जाए ताकि समस्याओं के समाधान व्यक्तिगत स्तर पर किए जा सकें।
- संपर्क शिक्षण व्यावस्था की जाए।
- विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखकर शैक्षणिक गतिविधियाँ की जाएँ।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 77 5/26/2017 9:27:06 AM

- दीर्घकालीन योजनाएँ बनाई जाएँ।
- संगठन के सभी कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य है। इस हेतु, गोष्ठी, संगोष्ठी, कार्यशाला तथा समय-समय पर वार्तालाप आयोजित किए जाने चाहिए।

अंत में कह सकते हैं कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार–2009 के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की शिक्षा की ज़िम्मेदारी सुनिश्चित कर अधिनियम लागू करने में सरकार, समाज एवं विद्यालय, परिवार, विद्यार्थी, अभिभावक तथा अन्य शिक्षाविदों को एकजुट होकर आगे आना होगा, तभी इस अधिनियम को सफ़ल बनाया जा सकता है।

संदर्भ

एन.सी.ई.आर.टी. 2004. *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा*. नयी दिल्ली.

___. 1998. गुणात्मक विद्यालय शिक्षा हेतु दक्षता आधारित प्रतिबद्धता उन्मुख अध्यापक शिक्षा. एन.सी.ई.आर.टी. दस्तावेज़. नयी दिल्ली.

कुमार, कृष्ण. 1996. *बच्चे की भाषा और अध्यापक—एक निर्देशिका*. नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया.

जी.बी, योगेन्द्र. 2002. *शिक्षा में नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियाँ*. विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा.

पांडे, लता (संपादक). 2008. *पढ़ने की दहलीज़ पर— पढ़ने से संबंधित लेखों का संकलन*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् , नयी दिल्ली.

मर्मर मुखोपाध्याय. 2002. *शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन*. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नयी दिल्ली.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. भारत सरकार. 1986. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति*. नयी दिल्ली.

भारत सरकार का राजपत्र. 2009. *नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली.

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 78 5/26/2017 9:27:06 AM